भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

**राज्‍य सभा**

अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या : 1004

उत्‍तर देने की तारीख : 09 मार्च, 2017

**सह-शिक्षा वाले स्कूलों में लड़कों और लड़कियों के लिए अलग-अलग शौचालय**

**1004. श्री डी॰ पी॰ त्रिपाठीः**

**क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

(क) महाराष्ट्र में सह-शिक्षा वाले पब्लिक स्कूलों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सह-शिक्षा वाले सभी पब्लिक स्कूलों में लड़कों तथा लड़कियों के लिए अलग-अलग शौचालय हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और सह-शिक्षा वाले ऐसे पब्लिक स्कूलों की संख्या कितनी है जहां अभी भी लड़कों तथा लड़कियों के लिए शौचालय/अलग-अलग शौचालय बनाने की आवश्यकता है; और

(ङ) वर्ष 2014 से स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत इन स्कूलों में ऐसे कितने शौचालयों का निर्माण किया गया है?

**उत्‍तर**

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्‍य मंत्री**

**(श्री उपेन्द्र कुशवाहा)**

(क): महाराष्‍ट्र सरकार ने सूचना दी है कि एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली (यू-डाइज) के आंकडों के अनुसार, महाराष्‍ट्र में 65,321 सह-शैक्षिक सरकारी और स्‍थानीय निकाय के विद्यालय हैं।

(ख) से (ड): नि:शुल्‍क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 में अनिवार्य है कि उपयुक्‍त सरकारें आरटीई अधिनियम की अनुसूची में विनिर्धारित मानदण्‍डों के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा के लिए विद्यालयी अवसंरचना प्रदान करे।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने महाराष्‍ट्र सहित सभी राज्‍यों और संघ राज्‍य क्षेत्रों को यह सुनिश्चित करने का निदेश दिया है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 के तहत प्रावधान के अनुसार गैर-सहायता प्राप्‍त विद्यालयों सहित सभी मान्‍यताप्राप्‍त विद्यालयों में बालिकाओं और बालकों के लिए अलग शौचालय उपलब्‍ध कराएं।

महाराष्‍ट्र सरकार ने यह सूचित किया है कि सभी सह-शैक्षिक सरकारी विद्यालयों में शौचालय सुविधाएं उपलब्‍ध हैं। कुछ विद्यालयों में जहां, भूमि उपलब्‍ध न होने, निजी भवनों में चलाए जा रहे विद्यालयों अथवा वन आदि जैसे क्षेत्रों में निर्माण प्रतिबंधों की वजह से स्‍थायी शौचालय उपलब्‍ध नहीं हैं, अस्‍थायी सुविधाएं प्रदान की गई हैं। महाराष्‍ट्र में 65,321 सरकारी और स्‍थानीय निकाय के विद्यालयों में से, 63,882 विद्यालयों में स्‍थायी बालक शौचालय हैं और 64,369 विद्यालयों में स्‍थायी बालिका शौचालय हैं। विद्यालय प्रबंधन समितियों द्वारा क्रमश: 1,439 विद्यालयों और 952 विद्यालयों में अस्‍थायी बा‍लक और बालिका शौचालय सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं।

केन्‍द्रीय सरकार ने बालिका शिक्षा को वरियता दी है। अत:, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि देश के प्रत्‍येक सरकारी विद्यालय में बालिकाओं और बालकों के लिए अलग शौचालय हों, स्‍वच्‍छ भारत मिशन के तहत स्‍वच्‍छ विद्यालय पहल का सूत्रपात किया है। महाराष्‍ट्र सहित राज्‍यों और संघ राज्‍य क्षेत्रों में सह-शैक्षिक सरकारी विद्यालयों में निर्मित शौचालयों की संख्या का केन्‍द्रीय स्‍तर पर रख-रखाव नहीं किया गया है।

\*\*\*\*\*